RAEBARELI POLICE

दिनाँक 31 जुलाई 2021 थाना बछरावाँ

हत्या की घटना का अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26 जुलाई 2021 को थाना बछरावाँ सूचना मिली कि शुभम यादव पुत्र रामकुमार यादव (उम्र करीब 22 वर्ष) निवासी लकड़िया खेड़ा थाना बछरावां रायबरेली की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में घर के बाहर मिली है। प्राप्त सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी महाराजगंज व थानाध्यक्ष बछरावां द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 387/2021 धारा-302 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी महराजगंज के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 31 जुलाई 2021 को थाना बछरावाँ व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 387/2021 धारा-302 भादवि का अनावरण करते हुये अभियुक्तगण-1-दीपू पुत्र स्व0 देवीप्रसाद निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली, 2-रामनेवल उर्फ कल्लू पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली, 3-वन्दना पत्नी स्व0 शुभम निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली को थाना क्षेत्र के राजामऊ तिराहे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लेदर का बेल्ट बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्ता वन्दना द्वारा बताया गया कि मेरा पति मृतक शुभम मुझे मारता-पीटता व परेशान करता रहता था यह बात मेरे द्वारा अपने बहनोई दीपू को कई बार बतायी गयी थी। दीपू के मित्र रामनेवल उर्फ कल्लू जिसकी शादी नही हो रही थी। इसी बात को लेकर रामनेवल उर्फ कल्लू अक्सर परेशान रहता था उसने कई बार दीपू से अपनी शादी के लिये कहा तथा बदले में 50,000/- रूपये देने की बात भी कही थी। मृतक शुभम के पास एक चार पहिया वाहन था। दीपू द्वारा विचार किया गया कि अगर मै शुभम को रास्ते से हटा दूँ तो उसकी चार पहिया गाड़ी मिल जायेगी व वन्दना की शादी कल्लू से कराने पर मुझे 50,000/-रूपये भी मिल जायेंगें तथा वन्दना मृतक शुभम की प्रताड़ना से छुटकारा मिल जायेगा। अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व की योजनानुसार दिनाँक 25 जुलाई 2021 को मृतक शुभम को शराब पिलायी गयी तथा उसे लेदर की बेल्ट से गला दबाकर मार दिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दीपू पुत्र स्व0 देवीप्रसाद निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली।

2-रामनेवल उर्फ कल्लू पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली।

3-वन्दना पत्नी स्व0 शुभम निवासी ग्राम लकड़ियाखेड़ा मजरे मुबारकपुर सराय थाना बछरावाँ रायबरेली।

बरामदगी-

01 अदद लेदर का बेल्ट (घटना में प्रयुक्त)

510/- रूपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री राकेश सिंह थाना बछरावाँ रायबरेली।
2. उप-निरीक्षक श्री अमरेश त्रिपाठी प्रभारी एसओजी टीम रायबरेली।
3. मुख्य आरक्षी श्री रामाधार सर्विलांस सेल रायबरेली।
4. मुख्य आरक्षी श्री त्रिवेणी सिंह एसओजी टीम रायबरेली।
5. मुख्य आरक्षी श्री संतोष सिंह सर्विलांस सेल रायबरेली।
6. मुख्य आरक्षी श्री प्रेमकिशोर अवस्थी एसओजी टीम रायबरेली।
7. आरक्षी श्री राजीव शुक्ला एसओजी टीम रायबरेली।
8. आरक्षी श्री अमित सिंह एसओजी टीम रायबरेली।
9. आरक्षी श्री पंकज यादव एसओजी टीम रायबरेली।
10. आरक्षी श्री सुरेश पटेल एसओजी टीम रायबरेली।
11. आरक्षी श्री दुर्गेश सर्विलांस सेल रायबरेली।
12. आरक्षी श्री कौशल किशोर सर्विलांस सेल रायबरेली।
13. आरक्षी श्री सौरभ सर्विलांस सेल रायबरेली।
14. आरक्षी श्री रविशंकर यादव थाना बछरावाँ रायबरेली।
15. आरक्षी श्री अतुल सिंह थाना बछरावाँ रायबरेली।
16. महिला आरक्षी राखी थाना बछरावाँ रायबरेली।

मीडिया सेल रायबरेली